



(Revised)
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

एल-एल0बी0 प्रवेश 2017
निर्देश एवं अभ्यर्थियों की सूची

1. प्रवेश (काउन्सिलिंग/प्रमाण-पत्र जाँच) हेतु अभ्यर्थी निम्नवत तिथि एवं कट ऑफ मेरिट के अनुसार प्रातः 11:00 बजे से विधि विभाग, एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा (लोअर कैम्पस) में समस्त मूल प्रमाण पत्रों तथा प्रवेश शुल्क के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। (सूची निम्नवत् संलग्न है।)

श्रेणी	उपस्थित होने की तिथि
सामान्य/अनुसूचित जाति/अनु0ज0जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तीर्ण अभ्यर्थी एवं प्रतीक्षा सूची	दिनांक: 10.11.2017
स्ववित्तपोषित सीट हेतु (उत्तीर्ण अभ्यर्थी)	दिनांक: 11.11.2017
शेष रिक्त सीटों हेतु (नॉट क्वालीफाइड अभ्यर्थी) (नॉट क्वालीफाइड अभ्यर्थी हेतु आवंटन पत्र ऑनलाइन नहीं डाले गये हैं। ऐसे अभ्यर्थी रिक्त सीटों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर विधि विभाग में निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे।)	दिनांक: 13.11.2017

प्रवेश शुल्क- सामान्य शुल्क- ₹0 3,110.00
स्ववित्तपोषित- ₹0 12,650.00

प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग/प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु नियम-

2. अभ्यर्थी के निम्नलिखित समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी-

- अ- एलएल0बी0 प्रवेश परीक्षा 2017 अंकपत्र/प्रिंट-आउट (Printout) किया गया बुलावा पत्र।
- ब - हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र
- स - इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र
- द - स्नातक/स्नातकोत्तर अथवा अन्य अर्हता परीक्षा की अंक तालिका/प्रमाण पत्र
- य - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा)
- र - क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र
- ल- अधिभार अंक सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

1. प्रवेश-परीक्षा हेतु अर्हता तथा पात्रता:

- 2.1. एल-एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत (44.99 प्रतिशत मान्य नहीं) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति हेतु स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर 40 प्रतिशत (39.99 प्रतिशत मान्य नहीं) होना आवश्यक है। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी एल-एल0बी0



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन एल-एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

- 2.2. यदि किसी प्रवेशार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा वह दण्डित किया गया हो तो वह प्रवेश का पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में इस बारे में सूचित करें। यदि इस सूचना को जानबूझ कर छिपाया जाता है तो भविष्य में जानकारी होने पर प्रदत्त प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 2.3. कोई भी प्रवेशार्थी 2015 की परीक्षा में दो वर्ष के लिए तथा 2016 की परीक्षा में एक या दो वर्ष के लिए अनुचित साधन के कारण विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किए गए हैं, तो उन्हें प्रवेश प्रतिबन्धित है।

4. अन्य पिछड़ी जाति (OBC) का काउन्सिलिंग/प्रमाण पत्र जाँच/प्रवेश की तिथि तक वैध होना अनिवार्य है।
“अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को अद्यतन अवधि (आवेदन तिथि के 12 माह के भीतर) का जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्रमाणपत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा।”
5. अनु0जाति/अनु0सूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (SC/ST/OBC) के वे अभ्यर्थी जिनका स्थायी निवास उत्तराखण्ड से बाहर है वे अभ्यर्थी सामान्य (General) अभ्यर्थी के रूप में माने जाएंगे।
6. महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही अपना टी0सी0 एवं सी0सी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

अभ्यर्थियों की सूची निम्नवत् संलग्न है।



